झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2017 के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 58/2016

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा, 2017 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि सादा पंजीयन आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक **26.09.2016 से 28.09.2016** तक प्राप्त कर लें। निम्न कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए पंजीयन आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में प्राप्त किए जायेंगे:–

1) बिना विलम्ब शुल्क के विद्यालय में जमा करने की तिथि– **09.11.2016 से 11.11.2016 तक**
2) बिना विलम्ब शुल्क के परिषद् में जमा करने की तिथि– **17.11.2016 से 19.11.2016 तक**
3) विलम्ब शुल्क के साथ विद्यालय में जमा करने की तिथि– **21.11.2016 से 30.11.2016 तक**
4) विलम्ब शुल्क के साथ परिषद् में जमा करने की तिथि – **01.12.2016 से 03.12.2016 तक**

शुल्क की राशि

1) पंजीयन आवेदन पत्र	–	₹60/– प्रति छात्र/छात्रा
2) पंजीयन शुल्क (नियमित)	–	₹80/– प्रति छात्र/छात्रा
3) पंजीयन शुल्क (स्वतंत्र)	–	₹400/– प्रति छात्र/छात्रा
4) अनुमति शुल्क (स्वतंत्र)	–	₹400/– प्रति छात्र/छात्रा
5) पंजीयन विलम्ब शुल्क	–	₹250/– प्रति छात्र/छात्रा

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "**झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड**" के नाम से देय एवं परिषद् कार्यालय, राँची के लिए राँची में भुगतेय, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए दुमका में भुगतेय तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर के लिए डाल्टेनगंज में भुगतेय होगा।

1. पंजीयन आवेदन पत्र नि:शुल्क दिया जाएगा, परन्तु पंजीयन आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क भरे हुए पंजीयन आवेदन के साथ जमा करना होगा।
2. स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. दिनांक 31.03.2003 के बाद की जन्म तिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा।
5. मध्यमा परीक्षा, 2017 के लिए वर्ष 2014 के पंजीयन की मान्यता दी जायेगी। 2014 के पूर्व के परीक्षार्थियों को पुन: पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। अगर वर्ष 2014 के पूर्व के पंजीयन के आधार पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाएगा तो उसे रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।
6. राजकीय/अनुदानित एवं स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
7. वैसे संस्कृत उच्च विद्यालयों, जिन्हें अस्थायी/स्थायी स्थापना अनुमति हेतु परिषद् द्वारा विभाग को अनुशंसा भेज दी गई है, विज्ञप्ति संख्या 65/2007 का अनुपालन करेंगे, साथ ही वैसे विद्यालय के छात्रों को स्वतंत्र छात्र के रूप में पंजीयन शुल्क देय होगा।
8. मध्यमा 2016–2017 की परीक्षा सरकार द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मध्यमा/1417/16/SECY/353/16
Dt. 22.09.16
D.O.P. 23.09.16

8X17